उद्यान निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2015 को आयोजित विभागीय वरीय पदाधिकारी की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति:– पंजी में संधारित।

कार्यवाही:–

1. सभी योजनाओं की स्वीकृति एवं व्यय की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि योजना एवं विकास विभाग द्वारा राज्य योजना मद से 400 करोड़ रू0 की कटौती कर ली गई है। निदेश दिया गया कि आवश्यकता के आकलन के अनुसार ही राशि की निकासी की जाय। योजना नोडल पदाधिकारियों से समीक्षोपरान्त निम्न योजनाओं में कटौती करने पर सहमति बनी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–
   1. कृषि यांत्रिकीकरण – 100 करोड़
   2. एग्रीकल्चर मार्केटिंग – 10 करोड़
   3. बीज अनुदान – 27 करोड़
   4. जैविकखेती – 50 करोड़
   5. विभागीय भवनों की स्थापना एवं जीर्णोद्धार सहित ई–किसान भवन – 8.65 करोड़
   6. भवन अनुरक्षण – 01 करोड़
   7. बीज, मिट्टी एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण – 3 करोड़
2. मुख्यालय स्थित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे भाड़े की गाड़ी का भुगतान अद्यतन कर दें।
3. संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान) द्वारा बताया गया कि नया संयुक्त भवन का निर्माण हुआ है, उसके Maintains की आवश्यकता होगी, इस विषय पर बैठकर होने वाले व्यय का आकलन कर लेने की आवश्कता है।

   साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि संयुक्त कृषि निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा के मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित आवासीय भवन के चाहर दिवारी की मरम्मती एवं आवास मरम्मती का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है। योजना अंतर्गत भवन अनुरक्षण मद में एक करोड़ की राशि स्वीकृत एवं आवंटित है। निदेश दिया गया कि इस मद में स्वीकृत राशि को प्रत्यार्पित कर दिया जाय। इसका अगले वित्तीय वर्ष में आवंटन दिया जायेगा।
4. पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि इधर विभाग द्वारा SMS नहीं आ रहा है। IT cell द्वारा जानकारी दी गई कि आई0टी0 मैनेजर का स्थानान्तरण हो गया है वे चले गये उन्ही के पासवर्ड से SMS भेजा जाता था। निदेश दिया गया कि NIC से पासवर्ड प्राप्त कर लिया जाय।
5. बैठक में जानकारी दी गयी कि मुख्य सचिव के स्तर पर कृषि रोड मैप की समीक्षात्मक बैठक में निदेश दिया गया कि रोड मैप में प्रावधान किये गये पावर टीलर, जीरो टिलेज

एवं कम्बाईन हार्वेस्टर का लक्ष्य प्राप्त किया जाय। कोनोवीडर वितरण योजना को तत्काल बंद करने का निदेश दिया गया है। पूर्व के वित्तीय वर्षों में बांटे गये पावर टीलर, जीरो टिलेज एवं कम्बाईन हार्वेस्टर की सूची तैयार कर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाय।

6. कृषि यांत्रिकीकरण के नोडल पदाधिकारी को जानकारी दी गई योजना की समीक्षा मुख्यसचिव के स्तर पर कृषि रोड मैप की बैठक में गई। निदेश दिया गया कि रोड मैप में किये गये प्रावधान के अन्तर्गत पावरटीलर, जीरोटिलेज एवं कम्बाईन हार्वेस्टर का लक्ष्य निर्धारित किया जाय, साथ ही कोनोवीडर को अगले वर्ष किसी भी योजना में शामिल नहीं किया जाय।
7. अन्न भंडारण योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण की येाजना 2015–16 में नवार्ड के द्वारा प्राक्कलन प्राप्त कर, उनके आलोक में योजना तैयार किया जाय।
8. बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन 2014–15 का प्रगति प्रतिवेदन पी०पी०एम० कोषांग को नहीं प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का अनुश्रवण बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा प्रत्येक माह किया जाता है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के 10 तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन पी०पी०एम० कोषांग को ई–मेल dptripathi.agri@gmail.com पर भेजते हुए हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दिया जाय।
9. बैठक में बताया गया कि केन्द्रीय बीज ग्राम योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम परियोजना निदेशकों के माध्यम से कराये जाने का निदेश है। इस संबंध में उप निदेशक, शष्य बीज निदेशक, बामेति से सम्पर्क कर जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई से अवगत करायेंगे। निदेशक, बामेति को निदेशित किया गया कि वे परियोजना निदेशकों की आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में इस कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे एवं परियोजना निदेशकों को आवश्यक निदेश अपने स्तर से भी जारी करेंगे।
10. निदेशक, पी०पी०एम० द्वारा बताया गया कि राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में छोटे–छोटे योजनाओं को एक दुसरे में समाहित कर 10 कार्यमद निदेशानुसार योजना बनाया गया है। योजना के नोडल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे वर्ष 2015–16 की योजना 15 फरवरी 2015 तक तैयार करेंगे ताकि समय पर योजना स्वीकृत हो सके।
11. योजना के नोडल पदधिकारी को निदेश दिया गया कि योजना के कार्यानुदेश प्रत्येक वर्ष नहीं बनाया जाय। एक बार जो कार्यानुदेश बन गया वह पाँच वर्ष के लिये होगा, अगर कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो उसमें सुधार कर जिला कृषि पदाधिकारियों/संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जायेगा।
12. सभी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रतिवेदन कृषि विभाग से भेजा जाना है, सभी पदाधिकारी समीक्षा कर वास्तविक आंकड़ा के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध करा देगें।

13. NMOOP के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि केन्द्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजते हुये कृषि उत्पादन आयुक्त के माध्यम से पत्र भेजकर राशि की मांग करें।

14. निदेशक, भूमि संरक्षण को निदेश दिया गया कि IWMS अन्तर्गत राशि की निकासी शीघ्र करें। उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजकर केन्द्र से राशि की मांग की जाय।

15. NFSM के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अतिरिक्त दलहन योजनाके अन्तर्गत प्राप्त राशि की निकासी शीघ्र कराई जाय।

16. NHM योजना के अन्तर्गत जानकारी दी गई की 45 करोड़ के विरूद्ध 7 करोड़ की राशि विमुत्त हुआ है, निदेश दिया गया कि शेष राशि की मांग की जाय।

17. RKVY के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस योजना कि राशि जो सहकारिता / पशुपालन विभाग को दी गई है, उसकी निकासी नहीं हुई है। Line up कर शीघ्र निकासी कराई जाय।

18. RKVY एवं NFSM के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे स्वीकृत राशि के विरूद्ध कितनी वास्तविक राशि व्यय हुआ तथा शुक्रवार तक कितनी राशि अवशेष है, का व्यय हेतु एक Planning तैयार कर उपलब्ध करायें।

19. जैविक खेती के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे सभी जिला को सूचित कर दें कि आवश्यकतानुसार राशि की निकासी करें। राशि की निकासी कर खाता में नहीं रखेंगे।

20. दिनांक 11–14 फरवरी, 2015 को आयोजित राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेला के व्यवस्था की समीक्षा की गई समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिया गया कि :–

(i) CIA मेला आयोजन हेतु कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दें। मेला में कौन–कौन प्रतिष्ठान भाग नहीं ले रहे है, उसकी सूची कृषि यांत्रिकीकरण के नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें। नोडल पदाधिकारी सम्बन्धित प्रतिष्ठान से शीघ्र बात करें।

(ii) CIA ने बताया कि 6 जगहों पर होर्डिंग लगा दिया गया है। उप कृषि निदेशक (सूचना) द्वारा जानकारी दी गई कि 24 जगहों पर होर्डिंग लगाया जायेगा। होर्डिंग Final हो गया है।

(iii) बामेती द्वारा बताया गया कि किसानों की सहभागिता के सम्बन्ध में जिलों को पत्र भेज दिया गया है। निदेश दिया गया कि तीन साल के अन्दर जो किसान भाग लिये है, उन्हें इसबार शामिल नहीं किया जाय। साथ ही किस जिला के किसान कब चलेगें कहाँ ठहरेंगे, सभी व्यवस्था पूर्व से हो जाना चाहिये।

(iv) CIA को निदेश दिया गया कि मेला में जो Vender अपनी दूकान लगायेगे उनके खाद्य पदार्थ का दर एवं मात्रा निर्धारित कर प्रचारित कराया जाय ताकि इसका लाभ किसान लें सके। साथ ही मेला में मनोरंजन के लिये भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाय।

(v) नोडल पदाधिकारी, यांत्रिकीकरण को निदेश दिया गया कि वे जिलों के लिये तिथिवार लक्ष्य निर्धारित कर दें, उस जिले से लक्ष्यानुसार यंत्र उठना चाहिये, यह सुनिश्चित

पूर्व से कर लें। साथ ही वे सूची तैयार कर लें कि किस जिला का यंत्र कौन सा प्रत्यक्षण करेगा।

(vi) उप कृषि निदेशक (सूचना) को निदेश दिया गया कि वे पत्र का डिजाईन अनुमोदित करा लें। बताया गया कि जिलों में होर्डिंग लगाने हेतु जिलों में भेज दिया गया है। इसे मेला का प्रचार कृषि दर्शन के माध्यम से कराया जाय।

(vii) उप कृषि निदेशक (सूचना) को निदेश दिया गया कि वे सूची तैयार कर लें कि कौन अतिथि आयेंगे। मेला की जानकारी देश के सभी राज्य कि कृषि विभाग एवं राज्य के Sector सभी को देना चाहिये।

(viii) मेला में उद्योग विभाग को भी आमंत्रित किया जाय ताकि वे अपनी Policy से सभी को अवगत करा सके।

दिनांक 29.01.2015 को पुनः मेला आयोजन की समीक्षा की जायेगी।

सधन्यवाद बैठक समाप्त किया जाय।

ह०/–

उद्यान निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पीoपीoएमo– 609 **पटना, दिनांक :–** 02-02-2015

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक के आप्त सचिव/उद्यान निदेशक/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग/अपर कृषि निदेशक–सह–प्रभारी किसान सलाहकार योजना/संयुक्त कृषि निदेशक(प्रसार)–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, रा०खा०सु०मि० कोषांग एवं रा०कृ०वि०यो० /संयुक्त कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना, प्रभारी टाल विकास कार्यक्रम/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक माप–तौल/उप सचिव, कृषि विभाग/उप निदेशक, प्रशासन/कृषि विशेषज्ञ, पी0पी0एम0, कोषांग/अवर सचिव, प्रभारी, प्रशाखा–4 एवं 1/उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र)–सह–प्रभारी पदाधिकारी, रा०खा०सु०मि० /उप कृषि निदेशक–सह–प्रभारी पदाधिकारी, रा०कृ०वि०यो० /उप कृषि निदेशक, मुख्यालय/संयुक्त कृषि निदेशक, उपयोगी अनुसंधान–सह–प्रभारी, प्रसंस्करण प्रमुख/उप कृषि निदेशक, गुण नियंत्रण–सह–प्रभारी विपणन एवं उत्पादन प्रमुख/उप कृषि निदेशक, तेलहन प्रभारी दियारा विकास कार्यक्रम/उप कृषि निदेशक, सांख्यिकी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, उर्वरक कोषांग/उप कृषि निदेशक(प्रसार)–सह–प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत एवं अनुश्रवण कोषांग/नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण योजना/उप निदेशक, उद्यान (योजना)/उप कृषि निदेशक, आलू/उप निदेशक उद्यान (नर्सरी)/उप निदेशक, उद्यान (सब्जी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/2/2015
(धनन्जयपति त्रिपाठी)
निदेशक, पी0पी0एम0

ज्ञापांक :– पीoपीoएमo– 609 **पटना, दिनांक :–** 02-02-15

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

2/2/2015
निदेशक, पी0पी0एम0